संख्या-23/2017/3463(2)/नौ-5-16-180बजट/15

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी)/निदेशक ,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 10 जनवरी, 2017

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी हेतु अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एसएमएमयू/797/41/2016, दिनांक 25 अक्टूबर, 2016, भारत सरकार के आदेश संख्या-के-15016/154 (8)/2015/एससी-1, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 तथा शासनादेश संख्या-341/2016/3463/नौ-5-15-180बजट/15, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी** हेतु उत्तर प्रदेश के लिए अवमुक्त केन्द्रांश की कुल धनराशि **रूपए 66.20 करोड़ (रूपए छाछठ करोड़ बीस लाख मात्र)** के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश की समान धनराशि **रूपए 66.20 करोड़ (रूपए छाछठ करोड़ बीस लाख मात्र)** को वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि करोड़ रू0 में)

क्र0	शासनादेश एवं दिनांक	कार्यमद	शासनादेश दिनांक 29.11.2016 द्वारा कुल अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि	कुल अवमुक्त राज्यांश की धनराशि
1.	शासनादेश संख्या-341/2016/ 3463/नौ-5-15-180बजट/15, दिनांक 29.11. 2016	स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) के अन्तर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी हेतु	66.20	66.20
		योग	66.20	66.20

(रूपए छाछठ करोड़ बीस लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं स्मार्ट सिटी मिशन के दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के आदेश संख्या-के-15016/154(8)/ 2015-एससी-1, दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तो के अनुसार व्यय/अन्तरित की जायेगी।

(2) स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(3) लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के लिए प्रथम वर्ष हेतु अवमुक्त केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का उपभोग भारत सरकार की गाइड-लाइन्स के अनुसार किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत ***लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए 051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-23/2017/3463(3)/नौ-5-16-180बजट/15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (स्मार्ट सिटी मिशन), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ/एसपीवी, लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, लखनऊ।
9- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी।